(E) त्रिभाषा सूत्र
(Three Language Formula)

अथवा (or)

स्कूली शिक्षा का माध्यम
(Medium of Schooling)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Perspective)

आज शिक्षा के क्षेत्र में भाषा की समस्या अत्यन्त जटिल बन गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन काल में संस्कृत भारत की मुख्य भाषा थी। संस्कृत को पूर्ण सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त थी। संस्कृत, राज्य भाषा के पद पर भी सुशोभित थी। बौद्ध धर्म के उदय होने के पश्चात् प्राकृत एवं पाली भाषा ने संस्कृत का स्थान ले लिया। मध्य युग में मुसलमानों का शासन प्रारम्भ हुआ। इसके साथ ही अरबी तथा फारसी भाषायें राजकीय भाषायें बन गईं। फारसी को विशेष रूप से राजदरबार की भाषा के रूप में अपनाया गया। फिर भी जनसाधारण की भाषा के रूप में हिन्दी, उर्दू एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ प्रचलित थीं।

अंग्रेजी काल में लार्ड मैकाले के कारण अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजी न केवल माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम बन गई वरन् स्कूल स्तर पर भी इसे अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजी का ज्ञान अच्छी नौकरी तथा समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिये आवश्यक समझा जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी न केवल राजकीय भाषा बनी बल्कि विभिन्न राज्यों की संपर्क भाषा भी बन गई। इसका दुष्परिणाम यह निकला कि अन्य भारतीय भाषाओं की उपेक्षा होने लगी। यद्यपि अंग्रेजी का प्रचार प्रसार बढ़ा फिर भी यह भारत में जनभाषा का स्थान न ले सकी।

स्वतन्त्र भारत में भाषा का स्थान एवं शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिये, यह अत्यन्त ही विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ अंग्रेजी के पक्षपाती हैं, तो कुछ हिन्दी के, तो कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के पक्ष में। भाषा समस्या के जटिल होने का कारण यह है कि भारत बहुभाषा-भाषी देश है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। इसी कारण हमारे संविधान में 15 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। इनके अतिरिक्त, अंग्रेजी को सरकारी भाषा का स्थान दिया गया है।

भाषा समस्या के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं—

(1) **महात्मा गाँधी**—*"शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। छात्रों पर अंग्रेजी नहीं लादनी चाहिये। जब रूस मातृभाषा में ही अपने देश का विकास कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते।"*

(2) **डॉ० जाकिर हुसैन**—*"मुझे इसमें शक नहीं कि युवकों को पूर्णरूपेण कुशल बनाने के लिये मातृभाषा आवश्यक है। मातृभाषा मानव मस्तिष्क के विकास के लिये उतनी ही आवश्यक है जितना बालक के शारीरिक विकास के लिये माँ का दूध आवश्यक है।"*

(3) **चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य**—*"यदि भारतीय लोग राजनीति, व्यापार या कला में एक रहना चाहते हैं, तो हिन्दी ही वह भाषा है जो समस्त भारतीयों का ध्यान आकर्षित कर सकती है, चाहे ये लोग अपने देश में कोई भी भाषा बोलते हों परन्तु हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करना भारत के सभी लोगों के लिये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये।"*

Scanned by TapScanner

भाषा समस्या से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न
(Important Questions Related With Language Problem)

भाषा समस्या से संबंधित आधारभूत प्रश्न निम्नलिखित हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है—

(i) स्कूल पाठ्यक्रम में विभिन्न भाषाओं का क्या सापेक्षिक स्थान होना चाहिये?

(ii) हिन्दी के अध्ययन का महत्व सभी आयोगों जैसे—राधाकृष्णन आयोग, 1956 का त्रिभाषा सूत्र, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग आदि में स्वीकार किया गया है।

(iii) ऐतिहासिक कारणों, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व एवं विज्ञान तथा तकनीकी साहित्य के अंग्रेजी में उपलब्ध होने के कारण हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिये अंग्रेजी का विकल्प तलाशना होगा।

(iv) दक्षिण के कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध है, इस सत्य को छिपाया नहीं जा सकता।

(v) दो बातों पर विचार करना अति आवश्यक है—प्रथम, अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी का विरोध क्यों है, द्वितीय—क्या हिन्दी भाषी राज्यों ने अंग्रेजी के अध्ययन की आवश्यकता को अस्वीकार किया है? जहाँ तक हिन्दी के विरोध का प्रश्न है, यह विरोध हिन्दी के प्रति जन्मजात घृणा नहीं है। यह विरोध इस मनोवैज्ञानिक भय का परिणाम है कि यदि अंग्रेजी को हटाकर हिन्दी एक मात्र राष्ट्रभाषा बन गई तो अहिन्दी भाषी छात्रों को सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने में कठिनाई होगी। इस प्रकार के भय को दूर करना होगा।

(vi) हिन्दी के प्रति धर्मान्धता स्वयं हिन्दी का विरोध करवाती है, परिणामस्वरूप हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पारस्परिक संबंधों में खिंचाव आ जाता है। हिन्दी को उन्नतिशील बनाने के लिये विधान सभा, राज्य सभा, लोक सभा, मन्त्रालय, न्यायालय आदि के कामों में अधिक से अधिक प्रयोग में लाना होगा।

(vii) भाषा नीति में संस्कृत का क्या स्थान होना चाहिये, यह प्रश्न भी विचार करने योग्य है, क्योंकि सभी आयोगों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है।

(viii) भाषा नीति से संबंधित एक प्रमुख प्रश्न त्रिभाषा-सूत्र के संबंध में है जिसमें प्रत्येक छात्र को तीन भाषाएँ पढ़नी होंगी।

कोठारी आयोग एवं त्रिभाषा सूत्र
(Kothari Commission and Three Language Formula)

सन् 1956 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने राष्ट्र की भाषायी समस्या के समाधान के लिये त्रिभाषा सूत्र (Three Language Formula) तैयार किया। इस सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को तीन भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया गया। ये तीन भाषाएँ थीं—

(i) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा

(ii) अंग्रेजी या अन्य कोई विदेशी भाषा

(iii) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कोई अन्य भारतीय भाषा।

शिक्षा आयोग (1964-66) ने उपरोक्त त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके इसे अपनाने का सुझाव दिया। इस आयोग के अनुसार संशोधित त्रिभाषा सूत्र इस प्रकार था—

(i) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा

(ii) केन्द्र की राजभाषा या सहायक भाषा

(iii) कोई आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा

Scanned by TapScanner

त्रिभाषा सिद्धान्त के अनुसार कक्षा 8 से लेकर कक्षा 10 तक प्रत्येक छात्र को तीन भाषायें पढ़नी हैं। प्रश्न यह है कि क्या एक छात्र माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं का अध्ययन कर इनमें प्रवीणता प्राप्त कर लेगा। वास्तव में, तीन भाषाओं के अध्ययन का बोझ बहुत अधिक हो जायेगा। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि नई माध्यमिक शिक्षा योजना के अनुसार 10वीं कक्षा तक छात्र को सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत भाषाओं के अध्ययन के अतिरिक्त विज्ञान, गणित, सामाजिक शास्त्र, कार्यानुभव आदि विषय भी पढ़ने हैं तो यह सोचना आवश्यक है कि इन भाषाओं का अध्ययन कहीं दूसरे विषयों की कीमत पर न हो।

संक्षेप में, इस आयोग के अनुसार शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होगा—

(1) छात्रों को तीन भाषाओं की शिक्षा दी जाये। किसी भी स्तर पर चार भाषाएँ न पढ़ाई जायें।
   (a) निम्न प्राथमिक स्तर पर केवल मातृभाषा की शिक्षा दी जाये।
   (b) उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के साथ-साथ केन्द्र की सरकारी भाषा की शिक्षा दी जाये।
   (c) निम्न माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा, संघीय भाषा तथा एक आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ायी जाये।
   (d) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम से कम दो भाषायें पढ़ाई जायें जिनमें से एक आधुनिक भारतीय भाषा तथा दूसरी कोई विदेशी भाषा हो।
(2) अंग्रेजी का अध्ययन उपयोगी होगा परन्तु 5वीं कक्षा से पूर्व इसका अध्ययन न कराया जाये।
(3) विश्वविद्यालय स्तर पर किसी भी भाषा का अध्ययन अनिवार्य न हो।
(4) हिन्दी के प्रसार के लिये, राज्य को राज्य स्तर पर तथा संघ सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने चाहियें, परन्तु इसके लिये किसी पर दबाव न डाला जाये।
(5) संस्कृत, अरबी, फारसी जैसी शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन किसी भी स्तर पर अनिवार्य न हो। 8वीं कक्षा में इसे वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा दी जा सकती है।
(6) भाषा की शिक्षा अध्यापकों को भी दी जाये।
(7) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो तथा अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में अंग्रेजी हो।

हिन्दी के प्रोत्साहन हेतु किये गये प्रयास (Efforts Made to Promote Hindi)

हिन्दी को प्रोत्साहन देने की दिशा में किये जा रहे प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं—

(1) अहिन्दी भाषा राज्यों में हिन्दी पढ़ाने के लिये 2000 शिक्षकों की नियुक्ति।
(2) विभिन्न राज्यों में 16 हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज खोले गये हैं।
(3) गैर हिन्दी राज्यों के छात्रों को मैट्रिक शिक्षा के बाद हिन्दी का अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
(4) हिन्दी के प्रचार के लिये स्वैच्छिक संगठनों को सरकारी अनुदान दिया जाता है।
(5) अहिन्दी भाषी भारतीय तथा विदेशी लोगों को हिन्दी की शिक्षा पत्राचार द्वारा प्रदान की जाती है।
(6) इस दिशा में केंन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिये कुछ विशेष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की है।
(7) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम हिन्दी शिक्षा के लिये चला रहा है। इसने हिन्दी शब्दकोश भी प्रकाशित किया है।
(8) केन्द्रीय सरकार अहिन्दी प्रदेशों के हिन्दी लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिये पुरस्कार योजना चला रही है।

Scanned by TapScanner